ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप–तहसील रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री कांसो राम पुत्र श्री जटू, निवासी ग्राम खलान्डो, ग्राम पंचायत कोटि बौंच, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता, निवासी ग्राम खालान्डो, ग्राम पंचायत कोटी–बौंच, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कांसो राम पुत्र श्री जटू, निवासी ग्राम खलान्डो, ग्राम पंचायत कोटि बौंच, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5768, दिनांक 05–08–2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया अपनी पुत्री मीनाक्षी की जन्म तिथि 06–03–2008 को ग्राम पंचायत कोटी–बौंच के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र में मय ब्यान हल्फिया प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री कांसो राम पुत्र श्री जटू, निवासी ग्राम खलान्डो, ग्राम पंचायत कोटि बौंच की पुत्री मीनाक्षी की जन्म तिथि 06–03–2008 को ग्राम पंचायत कोटी–बौंच, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 03–10–2025 को साय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत प्रार्थी की पुत्री मीनाक्षी की जन्म तिथि 06–03–2008 को ग्राम पंचायत कोटी–बौंच, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख मे दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप–तहसील रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री तुलसी राम पुत्र श्री किडवा, निवासी ग्राम झकानडो, डाकघर झकानडो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता, निवासी ग्राम झकानडो, ग्राम पंचायत झकानडो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तुलसी राम पुत्र श्री किडवा, निवासी ग्राम झकानडो, डाकघर झकानडो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-3204, दिनांक 12–06–2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 01–07–1965 को ग्राम पंचायत झकानडो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र में मय ब्यान हल्फिया प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री तुलसी राम पुत्र श्री किडवा, निवासी ग्राम झकानडो, ग्राम पंचायत झकानडो की जन्म तिथि 01–07–1965 को ग्राम पंचायत झकानडो, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 03–10–2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01–07–1965 को ग्राम पंचायत झकानडो, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा श्री इन्द्र सिंह पुत्र सही राम, निवासी गांव दाया, ग्राम पंचायत कुंहट, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री इन्द्र सिंह पुत्र सही राम, निवासी गांव दाया, ग्राम पंचायत कुंहट, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक अपने बेटे अमन का नाम व जन्म तिथि 10–11–2010 को ग्राम पंचायत कुंहट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पजीकरण बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक

30–09–2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बटे का पंजीकरण ग्राम पंचायत कुंहट, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती ईन्दरा देवी पत्नी श्री दिनेश, निवासी गांव मंगताड़ी, डाकघर शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त आधार कार्ड में नाम व जन्म तिथि दुरुस्तीकरण बारे।

आम जनता को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती ईन्दरा देवी पत्नी श्री दिनेश, निवासी गांव मंगताड़ी, डाकघर शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड में इन्द्रो देवी (Indro Devi) व जन्म तिथि 01–01–1990 दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम ईन्दरा देवी (Indra Devi) व जन्म तिथि 31–01–1981 है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ जन्म प्रमाण–पत्र, अधिवास हिमाचली का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड व शपथ–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को आधार कार्ड में नाम इन्द्रो देवी (Indro Devi) के स्थान पर ईन्दरा देवी (Indra Devi) व जन्म तिथि 01–01–1990 के स्थान पर 31–01–1981 दुरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 04–10–2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया का नाम ईन्दरा देवी (Indra Devi) व प्रार्थिया की जन्म तिथि 31–01–1981 आधार कार्ड में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
(जस पाल, हि0प्र0से0),
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––––––